Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

गरीबी एवं उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास : आलोचनात्मक विश्लेषण

डॉ.मनमोहन प्रसाद पाण्डेय
भूतपूर्व शोध छात्र,
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश,भारत।

Article Info

Volume 3 Issue 3

Page Number : 93-111

Publication Issue :

May-June-2020

Article History

Accepted : 20 June 2020

Published : 30 June 2020

सारांश– प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा इन योजनाओं का वित्तीय भार राज्य एवं केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से वहन कर रहीं हैं। साथ ही प्रदेश में गरीब परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं वित्तपोषित योजनाएं भी संचालित है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों के लिए विकास के लिए कई योजनओं का संचालन किया गया है जिसको प्रदेश सरकार का पूरक प्रयास माना जा सकता है। गरीबी निवारण हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं मुख्यतः मानव के न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित है जिसके अन्तर्गत रोज़गार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि व्यापक जैसे क्षेत्रों को समाहित किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत पूर्व के अध्यायों में लिए गये विश्लेषण के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों एवं प्राप्त उपलब्धियों को क्षेत्र–वार निष्कर्ष रूप में निम्नवत प्रस्तुत किये गये है।

मुख्यशब्द–गरीबी, योजनाएं, संचालित, राजनीतिक, मानव, आवश्यकता।

मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। जब तक मानव के पास ये तीनों चीजें नहीं होती हैं वे अपना जीवन–यापन समुचित ढंग से नहीं कर पाता हैं। सरकार ने इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गरीब परिवरों के लिए अनेक कार्यक्रमों को समय–समय पर लागू करती रही है। गरीबों हेतु संचालित कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक सूचनाओं का संकलन सर्वेक्षण विधि के द्वारा उत्तर प्रदेश के चारों भौगोलिक क्षेत्रों (पूर्वी उत्तर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य व बुन्देल खण्ड) से एक–एक जनपद यथा इलाहाबाद मथुरा, बाराबंकी, चित्रकूट का चयन किया गया तथा तथा चयनित प्रत्येक

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

जनपद से दो–दो विकास खण्डों एवं चयनित विकास खण्डों से दो–दो ग्रामों तथा प्रत्येक चयनित ग्राम से दस–दस गरीब परिवारों को प्रतिदर्श के रूप किया गया जिसमें पाया गया कि चयनित परिवारों में से 17.5 प्रतिशत परिवार इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए हैं जबकि वहीं 18.8 प्रतिशत परिवारों को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना के अन्तर्गत स्वरोज़गार के लिए ऋण देकर लाभान्वित किया गया तथा 5 प्रतिशत परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्ते ब्याज दर पर पम्पिंग सेट, डेरी, दुकान लगाने के लिए ऋण देकर लाभान्वित किया गया। 11.3 प्रतिशत परिवारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 100 दिन का रोज़गार (सड़क निर्माण, तालाब की खुदाई) देकर लाभान्वित किया गया है। जबकि 0.6 प्रतिशत परिवारों का जवाहर रोज़गार योजना के अन्तर्गत रोज़गार दिया गया तथा 2.5 प्रतिशत परिवारों को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। जबकि 33.8 प्रतिशत परिवारों को सस्ते दर पर अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अनाज दिया जा रहा है। साथी ही 10.6 प्रतिशत गरीब वृद्ध परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि चयनित सभी 160 परिवार किसी न किसी योजना का लाभ पा चुके हैं दूसरी ओर जब हम परिवारों की आर्थिक स्थिति और रहन–सहन के स्तर को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि इनकी गरीबी के स्तर में किसी प्रकार का कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ है।

ग्रामीण विकास : उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ

प्रदेश में पिछले चार दशक से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक विकास योजनाएं संचालित की गयी है। इन योजनाओं के नाम, स्वरूप, उद्देश्यों तथा क्रियान्वयन विधियों में सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाता रहा है। यद्यपि प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु सशक्त रणनीति बनाने के क्रम में नियोजन, योजना–निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं संशोधन की प्रक्रिया पिछले पचास वर्षो से लगातार चलती आ रही है किन्तु गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास के वांछित लक्ष्यों को संतोषजनक स्तर पर भी नहीं लाया जा सका है। प्रतिदर्श जनपदों में पिछले एक दशक के दौरान संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का आलोचनात्मक विवेचन निम्नवत प्रस्तुत है–

इन्दिरा आवास योजना

सारणी 1: वर्षवार इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	2606	1880	72.1	468	468	100.0	1727	1727	100.0	3250	3250	100.0
2001-02	2648	2119	80.0	624	624	100.0	2308	2308	100.0	3541	3541	100.0
2002-03	2710	2710	100.0	551	551	100.0	1793	1793	100.0	3733	3733	100.0
2003-04	3069	1682	54.8	633	633	100.0	2030	2030	100.0	3848	3848	100.0
2004-05	2763	1893	68.5	489	489	100.0	2130	2130	100.0	5141	5141	100.0
2005-06	2510	2800	111.6	451	451	100.0	1056	1056	100.0	4140	4140	100.0
2006-07	2663	2345	88.1	384	384	100.0	1121	1121	100.0	7292	7292	100.0
2007-08	3988	4069	102.0	574	574	100.0	1555	1555	100.0	8710	8710	100.0
औसत	2870	2437	84.6	522	522	100.0	1715	1715	100.0	4957	4957	100.0

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित जनपदों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में 72.1 प्रतिशत ही लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि प्राप्त हुई जबकि वर्ष 2003–04 में यह उपलब्धि स्तर घटकर 54.8 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 2007–08 में उपलब्धि का स्तर शत–प्रतिशत रहा। दूसरी ओर बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद व मध्य क्षेत्र के बाराबंकी जनपद में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत प्राप्त हुई। इस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली आवासीय सहायता का प्रतिशत अन्य जनपदों की तुलना में कम दिखाई देती है।

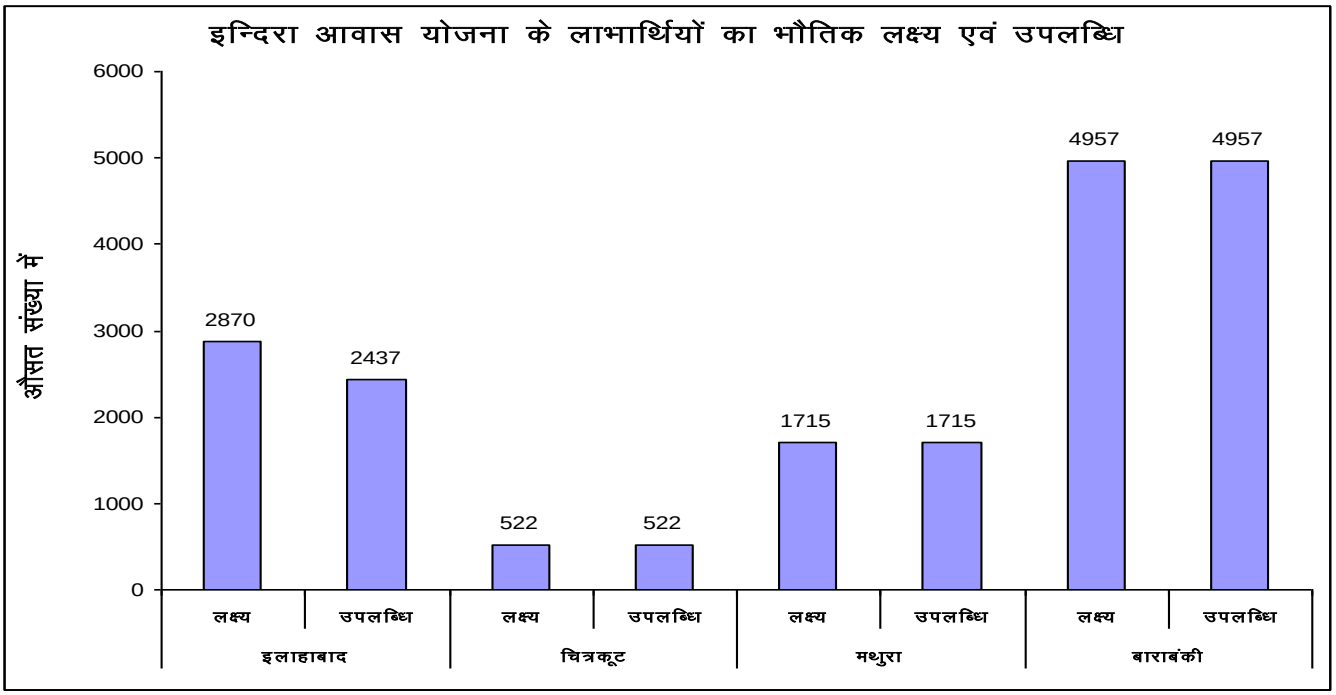

जवाहर रोज़गार योजना

सारणी 2 : वर्षवार जवाहर रोज़गार योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

(लाख में)

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	8.2	8.2	100.0	2.7	2.51	93.0	3.75	2.74	73.1	12.6	10.77	85.5
2001-02	10.72	10.72	100.0	4.5	3.88	86.2	4.15	4.1	98.8	11.7	10.95	93.6
2002-03	12.32	11.03	89.5	5.6	4.99	89.1	5.75	5.85	101.7	18.17	17.5	96.3
2003-04	13.4	12.42	92.7	4.2	2.93	69.8	6.15	6.84	111.2	12.32	10.32	83.8
औसत	11.2	10.6	95.6	4.3	3.6	84.5	5.0	4.9	96.2	13.7	12.4	89.8

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि जवाहर रोज़गार योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि वर्ष 2000–01 व 2001–02 में शतप्रतिशत रही है जबकि इसके बाद वर्ष 2003–04 में घटकर 92.7 प्रतिशत हो गयी। जबकि मध्य उत्तर प्रदेश के बाराबंकि जनपद में वर्ष 2000–01 में लक्ष्य

की तुलना में उपलब्धि 85.5 प्रतिशत थी जो घटकर वर्ष 2003–04 में 83.8 प्रतिशत हो गयी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि में लगातार वृद्धि दर्ज की गयी जबकि बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद में लक्ष्य की तुलना पूर्ति में लगातार कमी दर्ज की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य जनपदों की तुलना में चित्रकूट जनपद में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि काफी कम रही।

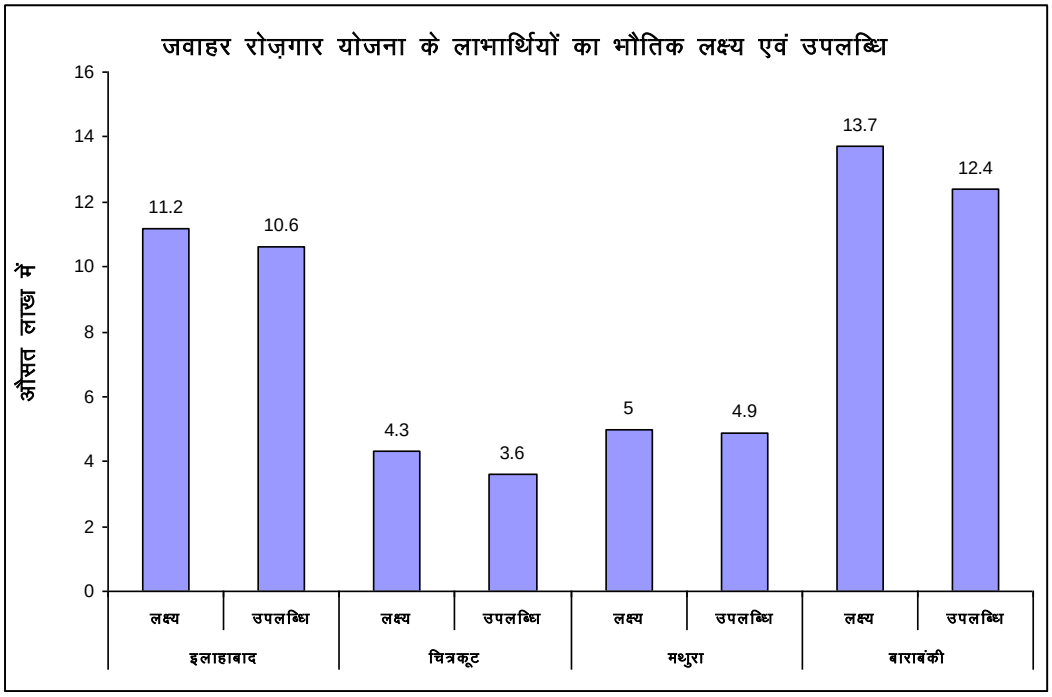

सुनिश्चत रोज़गार योजना

सारणी 3 : वर्षवार सुनिश्चत रोज़गार योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

(लाख में)

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	10.09	11.6	115.0	2.3	1.18	51.3	5.72	4.78	83.6	10.2	8.28	81.2
2001-02	8.59	8.59	100.0	4.32	3.24	75.0	4.89	3.27	66.9	6.28	4.75	75.6
2002-03	16.69	16.69	100.0	7.5	6.2	82.7	3.37	2.82	83.7	5.2	3.78	72.7
2003-04	NA	NA	-	6.34	5.08	80.1	3.12	2.89	92.6	4.92	3.37	68.5
औसत	11.8	12.3	105.0	5.1	3.9	72.3	4.3	3.4	81.7	6.7	5.0	74.5

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़े स्पष्ट करते है कि चयनित इलाहाबाद जनपद में सुनिश्चित रोज़गार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत से भी अधिक रही है जो वर्ष 2002–03 में घटकर शत–प्रतिशत हो गयी तथा इसके बाद वर्ष 2003–04 में इस जनपद में यह योजना बन्द कर दी गयी। जबकि चित्रकूट जनपद में वर्ष 2000–01 में लक्ष्य की पूर्ति 51.3 प्रतिशत थी जो वर्ष 2003–04 में बढ़कर 80.1 प्रतिशत हो गयी। दूसरी ओर मथुरा जनपद में लक्ष्य की पूर्ति वर्ष 2000–01 में 83.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2003–04 में बढ़कर 92.6 प्रतिशत हो गयी। जबकि बाराबंकी जनपद में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि वर्ष 2000–01 में 81.2 प्रतिशत थी जो आगे के वर्षो में घटकर 68.5 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जनपद में इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य की पूर्ति अधिक रही है।

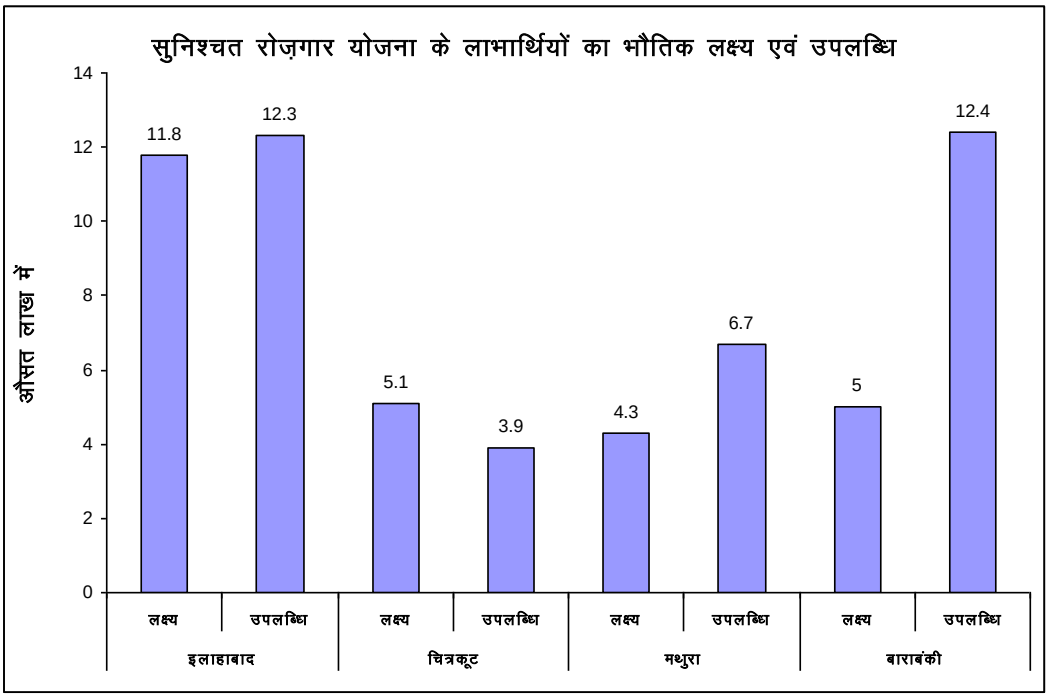

स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना

सारणी 4: वर्षवार स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	10163	2119	20.9	1750	1165	66.6	1210	1243	102.7	2724	2724	100.0
2001-02	7110	1598	22.5	1738	548	31.5	1100	1126	102.4	2161	2161	100.0
2002-	7110	124	17.5	175	105	60.4	120	122	101.	675	181	26.8

03		6		0	7		0	0	7	0	0	
2003-04	7110	2793	39.3	1750	1148	65.6	1414	1465	103.6	6750	4223	62.6
2004-05	7110	3142	44.2	1750	1477	84.4	1230	1232	100.2	7783	5676	72.9
2005-06	7116	7116	100.0	1662	1553	93.4	1400	1418	101.3	8565	8540	99.7
2006-07	7824	5380	68.8	1925	1560	81.0	1400	1410	100.7	8565	8555	99.9
2007-08	8175	8187	100.1	2263	2017	89.1	1230	1239	100.7	8939	8910	99.7
औसत	7715	3948	51.7	1824	1316	71.5	1273	1294	101.7	6530	5325	82.7

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि चयनित चारों जनपदों में स्वरोजगारियों को दिया जाने वाला स्वरोज़गार लक्ष्य की उपलब्धि काफी कम है। चयनित इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2000–01 में निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि 20.9 प्रतिशत थी जो वर्ष 2009–10 में घटकर 17.5 प्रतिशत हो गयी जबकि वर्ष 2004–05 में बढ़कर लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 44.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2007–08 में लगभग शत–प्रतिशत हो गयी। दूसरी ओर बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद में 2000–01 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 66.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2004–05 में घटकर 54.4 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 2007–08 में बढ़कर लगभग शत–प्रतिशत से अधिक रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 में लक्ष्य की तुलना में शत–प्रतिशत रही है जबकि इसके बाद वर्ष 2004–05 में घटकर 72.9 प्रतिशत हो गयी जबकि वर्ष 2007–08 में बढ़कर लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत रही है।

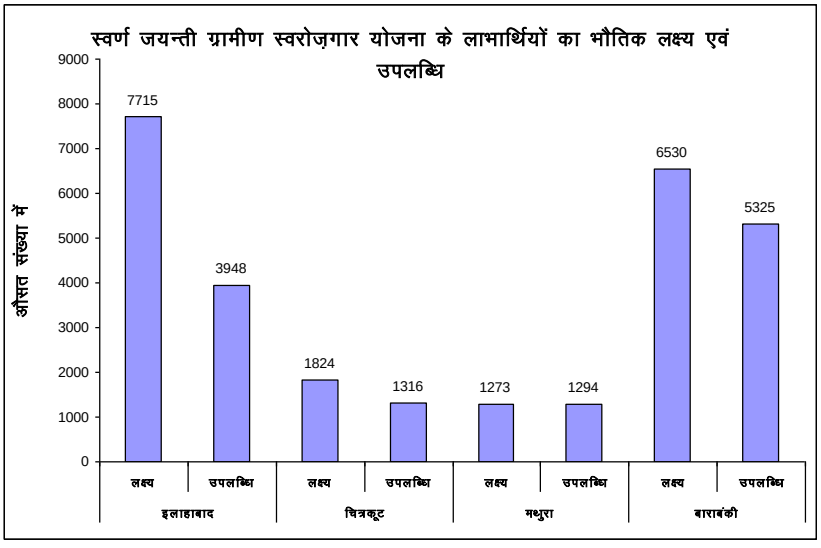

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना

सारणी 5 : वर्षवार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जाब कार्ड धारक

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2006-07	NA	NA	-	62386	50361	80.7	385000	385000	100.0	334591	334591	100.0
2007-08	NA	NA	-	86911	55312	63.6	505000	505000	100.0	352949	352949	100.0
2008-09	526900	475900	90.3	87376	78835	90.2	874000	874000	100.0	304879	304879	100.0
औसत	526900	475900	90.3	78891	61503	78.2	588000	588000	100.0	330806	330806	100.0

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2006–07 व 2007–08 में मनरेगा को लागू नही किया गया। वर्ष 2008–09 में 90.3 प्रतिशत जॉब कार्ड धारकों को लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि प्राप्त की गयी। जबकि चित्रकूट जनपद में वर्ष 2006–07 में 80.7 प्रतिशत जॉब कार्ड धारकों के लक्ष्य तुलना में रोज़गार किया गया जो वर्ष 2008–09 में बढ़कर 90.2 प्रतिशत हो गयी। वही मथुरा व बाराबंकी जनपदों में शत–प्रतिशत लक्ष्य की आपूर्ति की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि अभी भी इलाहाबाद और चित्रकूट जनपदों में लगभग 10 प्रतिशत कार्डधारक काम की तलाश में भटक रहे हैं।

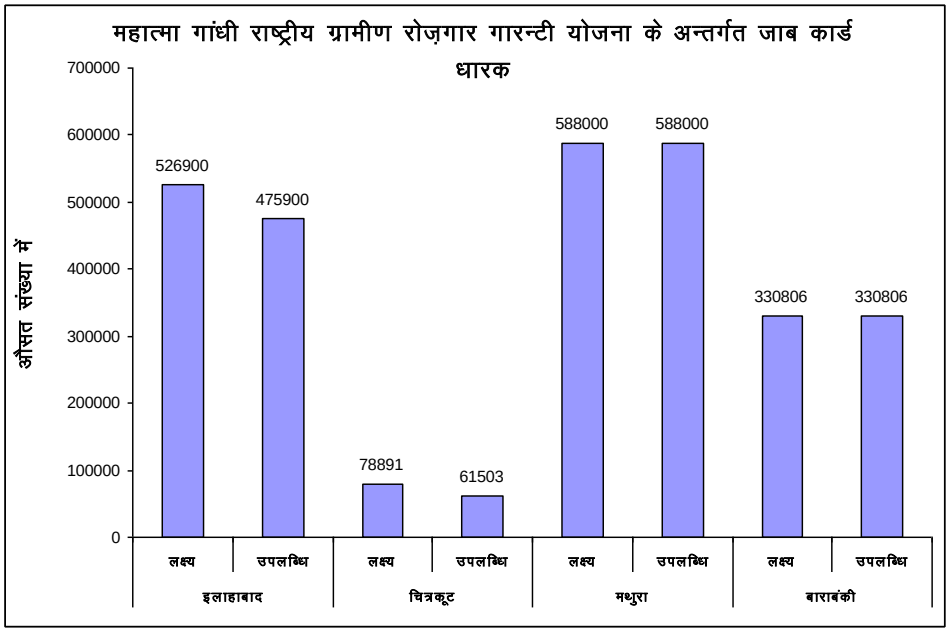
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जाब कार्ड धारक
औसत संख्या में
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
526900
475900
78891
61503
588000
588000
330806
330806
लक्ष्य
उपलब्धि
लक्ष्य
उपलब्धि
लक्ष्य
उपलब्धि
लक्ष्य
उपलब्धि
इलाहाबाद
चित्रकूट
मथुरा
बाराबंकी

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

सारणी 6 : वर्षवार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	36000	40202	111.7	14722	12637	85.8	18355	56883	309.9	36784	31366	85.3
2001-02	45000	51215	113.8	12878	10232	79.5	61000	63611	104.3	38278	34380	89.8
2002-03	45000	49319	109.6	15646	13784	88.1	45000	45527	101.2	40248	36362	90.3
2003-04	65200	71115	109.1	20000	14779	73.9	42587	46806	109.9	42546	37234	87.5
2004-05	57600	29089	50.5	34318	25778	75.1	26331	26461	100.5	55660	51352	92.3
2005-06	57600	24042	41.7	14848	16739	112.7	29500	30075	101.9	60000	56197	93.7
2006-07	47367	23643	49.9	13392	12294	91.8	24208	32748	135.3	40702	37538	92.2
2007-08	48314	28578	59.2	13392	14758	110.2	33922	34298	101.1	46813	40407	86.3
औसत	50260	39650	80.7	17399	15125	89.6	35113	42051	133.0	45129	40605	89.7

स्रोतः– कार्यालय, जिला कृषि अधिकारी।

उपरोक्त सारणी स्पष्ट करता है कि वर्ष 2000–01 में इलाहाबाद जनपद में शतप्रतिशत से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की पूर्ति की गयी जबकि वर्ष 2004–05 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि घटकर 50.5 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 59.2 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार चित्रकूट जनपद में वर्ष 2000–01 में लक्ष्य की तुलना में 85.8 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गयी जबकि वर्ष 2004–05 में यह प्रतिशत घटकर 75.1 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में शत–प्रतिशत से अधिक उपलब्धि अर्जित की गयी। मथुरा जनपद में वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक शतप्रतिशत किसान क्रेडिट कार्डो के लक्ष्य की पूर्ति की गयी। जबकि बाराबंकी जनपद में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2000–01 में 85.3 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की आपूर्ति की गयी जो वर्ष 2007–08 में घटकर 86.3 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मथुरा जनपद में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक की अवधि में शत–प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि प्राप्त की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान प्रदेश के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की

तुलना में ज्यादा सजग है यही कारण है कि मथुरा जनपद में किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य से कहीं ज्यादा उपलब्धि अर्जित की गई जबकि अन्य जनपदों में निर्धारित लक्ष्य से उपलब्धि का प्रतिशत बहुत कम है।

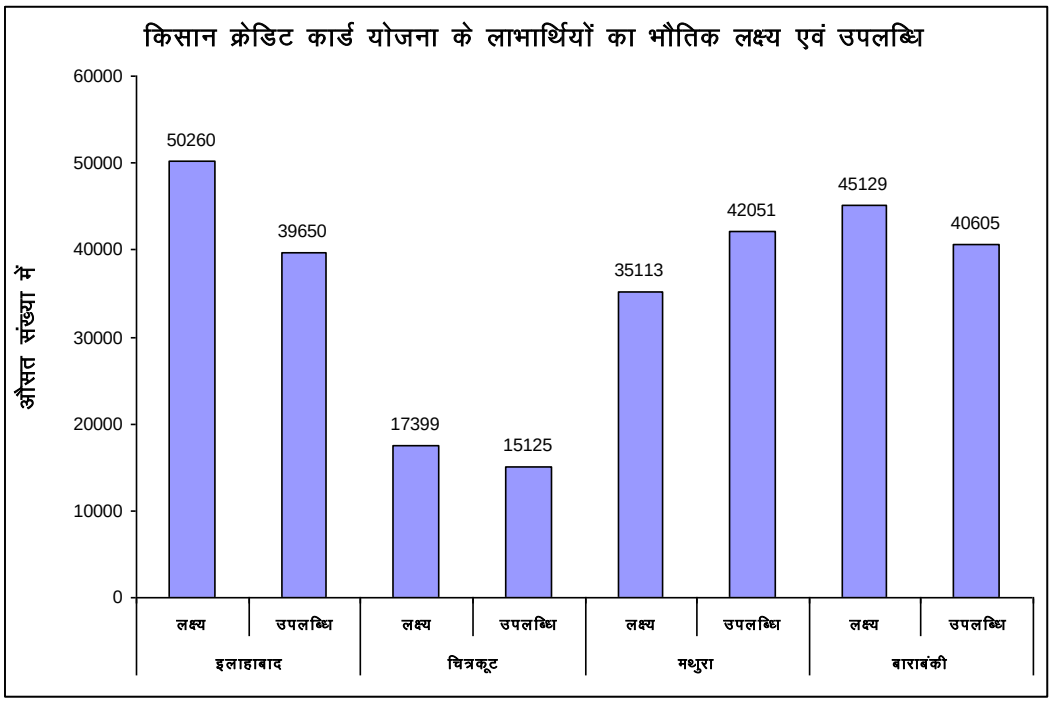

जननी सुरक्षा योजना

सारणी 7 : वर्षवार जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2005-06	28262	25362	89.7	2822	2285	81.0	1027	1027	100.0	1583	1583	100.0
2006-07	37562	31348	83.5	3145	2147	68.3	6763	6763	100.0	13302	13302	100.0
2007-08	46477	37612	80.9	6745	6511	96.5	17090	17090	100.0	37192	37192	100.0
औसत	37434	31441	84.7	4237	3648	81.9	8293	8293	100.0	17359	17359	100.0

स्रोतः– कार्यालय, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी।

उपरोक्त सारणी स्पष्ट करता है कि इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2005–06 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 89.7 प्रतिशत की गयी जो वर्ष 2007–08 में घटकर 80.9 प्रतिशत हो गयी इसी प्रकार से चित्रकूट जनपद में वर्ष 2005–06 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 81.0 प्रतिशत थी जो वर्ष 2007–08 में बढ़कर 96.5 प्रतिशत हो गयी।

दूसरी ओर मथुरा और बाराबंकी जनपदों में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि इलाहाबाद व चित्रकूट जनपदों की तुलना में मथुरा व बाराबंकी की जनपदों में उपलब्धि शत–प्रतिशत रही।

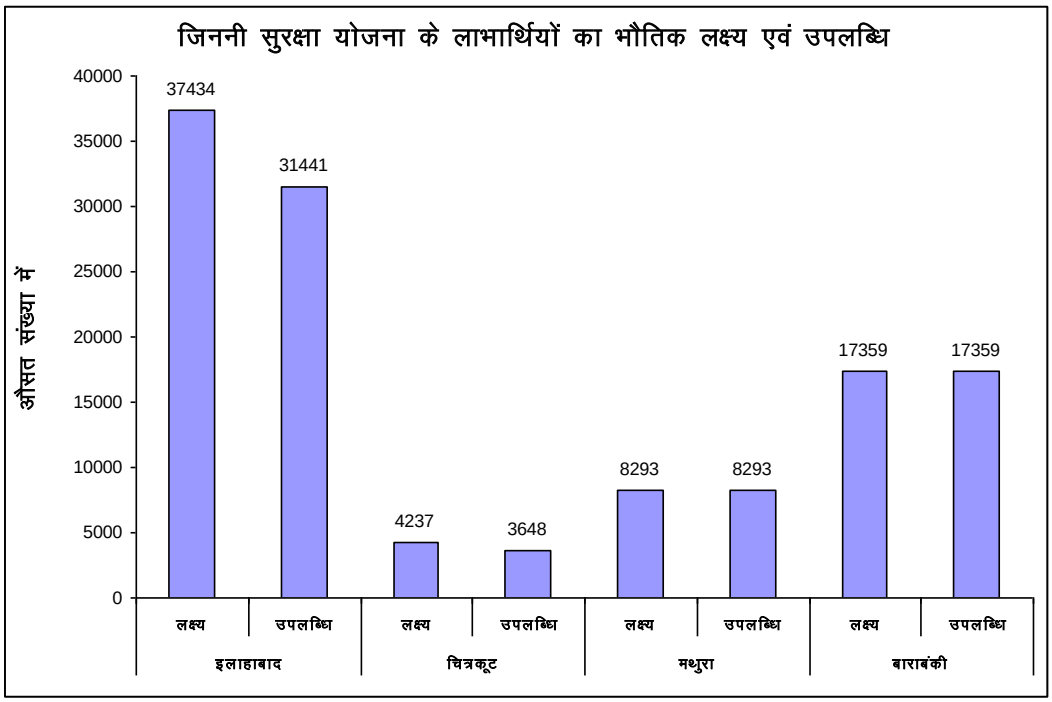

राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

सारणी 8 : वर्षवार टी0बी0 से पीढ़ित पंजीकृत व उपचारित मरीज

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	पंजीकृत	उपचारित		पंजीकृत	उपचारित		पंजीकृत	उपचारित		पंजीकृत	उपचारित	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	1546	1032	66.8	1032	385	37.3	562	522	92.9	1284	377	29.4
2001-02	2563	1543	60.2	943	322	34.1	737	372	50.5	1262	351	27.8
2002-03	3262	2150	65.9	1243	445	35.8	756	214	28.3	1227	335	27.3
2003-04	4820	2568	53.3	1123	402	35.8	2344	832	35.5	1349	382	28.3
2004-05	5476	3006	54.9	1248	486	38.9	2423	956	39.5	1332	398	29.9
2005-06	7539	4030	53.5	1522	645	42.4	3012	1356	45.0	1667	443	26.6
2006-07	8030	3981	49.6	1620	886	54.7	3177	1387	43.7	1683	489	29.1

2007-08	8598	4814	56.0	1620	952	58.8	3906	1698	43.5	1923	535	27.8
औसत	5229	2891	57.5	1294	565	42.2	2115	917	47.4	1466	414	28.3

स्रोतः– कार्यालय, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2000–01 में टी0बी0 के कुल पंजीकृत मरीजों की तुलना में संख्या का 66.8 प्रतिशत मरीजों का उपचार किया गया जो वर्ष 2004–05 में घटकर 54.9 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया। जबकि चित्रकूट जनपद में वर्ष 2001–02 में कुल पंजीकृत रोगियों की संख्या की तुलना में 37.3 प्रतिशत मरीजों का उपचार किया गया जो वर्ष 2007–08 में बढ़कर प्रतिशत 58.8 हो गया। जबकि मथुरा जनपद में वर्ष 2000–01 में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या की तुलना में 92.9 प्रतिशत मरीजों का उपचार किया गया जो घटकर वर्ष 2004–05 में 39.5 प्रतिशत हो गया तथा पुनः बढ़कर वर्ष 2007–08 में 43.5 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार बाराबंकी जनपद में वर्ष 2000–01 में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या की तुलना में 29.4 प्रतिशत मरीजों का उपचार किया गया तथा यह उपलब्धि वर्ष 2007–08 में घटकर प्रतिशत 27.8 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि टी.वी. के मरीजों के उपचार के मामले में इलाहाबाद जनपद की स्थिति अन्य जनपदों की तुलना में अच्छी है।

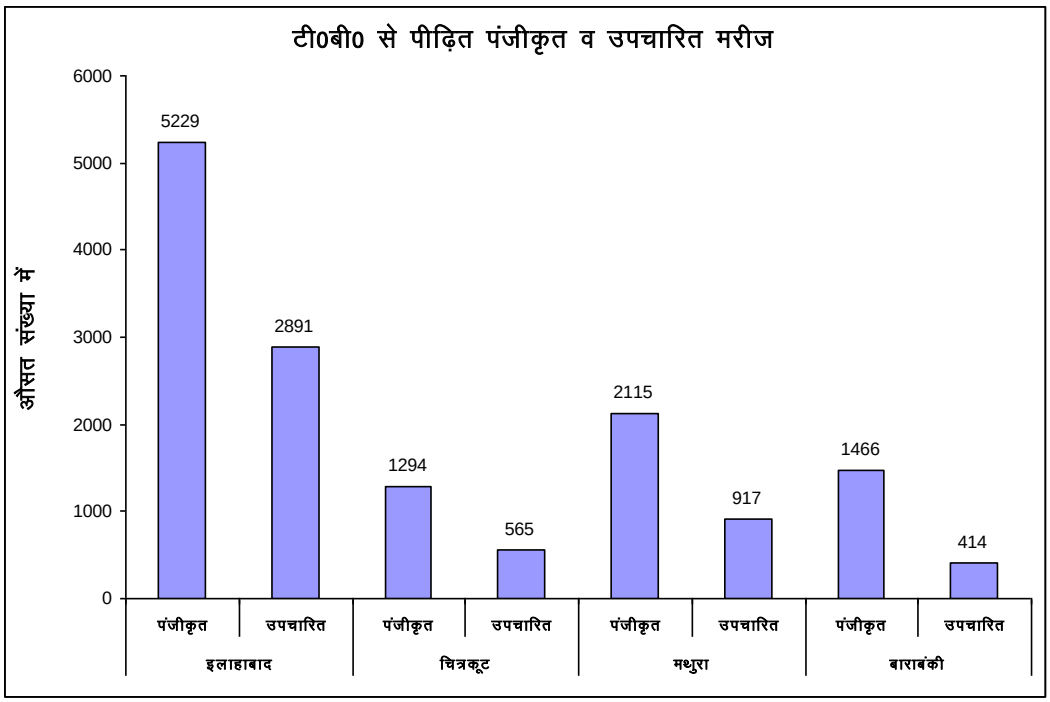

वृद्धा पेंशन योजना

सारणी 8: वर्षवार वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद				चित्रकूट				मथुरा				बाराबंकी			
	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत
	संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत	
2000-01	30598	30598	100.0		3610	3610	100.0		14755	14755	100.0		22678	22678	100.0	
2001-02	30598	30598	100.0		3610	3610	100.0		14755	14755	100.0		22678	22678	100.0	
2002-03	39501	39501	100.0	14.13	5083	5083	100.0	6.51	18327	18327	100.0	15.51	27650	27650	100.0	8.80
2003-04	39501	39501	100.0	14.13	7795	7795	100.0	9.99	18327	18327	100.0	15.51	27650	27650	100.0	8.80
2004-05	39501	39501	100.0	14.13	7795	7795	100.0	9.99	18327	18327	100.0	15.51	30640	30640	100.0	9.75
2005-06	56739	56739	100.0	20.30	10334	10334	100.0	13.24	23212	23212	100.0	19.64	30640	30640	100.0	9.75
2006-07	77904	77904	100.0	27.87	14934	14934	100.0	19.13	28952	28952	100.0	24.49	32262	32262	100.0	10.26
2007-08	122346	122346	100.0	43.77	16999	16999	100.0	21.18	28952	28952	100.0	24.49	32262	32262	100.0	10.26

स्रोतः– कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002–03 में इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 14.13 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया गया जबकि वर्ष 2004–05 में दी जाने वाली वृद्धा पेंशन के प्रतिशत में कोई बढ़ोत्तरी नही हुयी तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 43.77 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर चित्रकूट जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 6.51 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को वृद्धों को वृद्धा पेंशन प्रदान किया गया जबकि वर्ष 2004–05 में यह प्रतिशत बढ़कर 9.99 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में फिर बढ़कर 21.78 प्रतिशत हो गया, वही मथुरा जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 15.51 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वृद्धा पेंशन दी गयी जो वर्ष 2004–05 में बढ़कर 19.64 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में फिर यह बढ़कर 24.49 हो गया। बाराबंकी जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 8.8 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को वृद्धा पेंशन दी गयी जबकि वर्ष 2004–05 में यह बढ़कर 9.75 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में फिर बढ़कर यह 10.26 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि चयनित चारों जनपदों में वृद्धा पेंशन योजना का प्रतिशत काफी कम है जो यह प्रदर्शित करता है कि ऐसे निःसहाय वृद्धों की संख्या काफी कम है जिनका कोई पालनहार न हो।

6.1.16 विधवा पेंशन योजना

सारणी 6.16: वर्षवार विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद				चित्रकूट				मथुरा				बाराबंकी			
	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत
	संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत	
2000-01	7015	7015	100.0		1032	1032	100.0		5216	5216	100.0		7497	7439	99.2	
2001-02	7015	7015	100.0		1466	1466	100.0		5216	5216	100.0		7497	7497	100.0	
2002-03	12364	12364	100.0	4.42	1832	1832	100.0	2.35	6283	6283	100.0	5.32	8871	8871	100.0	2.82

2003-04	7015	7015	100.0	2.51	2034	2034	100.0	2.61	6283	6283	100.0	5.32	8871	8871	100.0	2.82
2004-05	9945	9945	100.0	3.56	2478	2478	100.0	3.18	10428	10428	100.0	8.82	8871	8871	100.0	2.82
2005-06	11461	11461	100.0	4.10	4134	4134	100.0	5.30	10428	10428	100.0	8.82	16382	16382	100.0	5.21
2006-07	20539	20539	100.0	7.35	5212	5212	100.0	6.68	16057	16057	100.0	13.58	16382	16382	100.0	5.21
2007-08	32344	32344	100.0	11.57	6531	6531	100.0	8.37	16057	16057	100.0	13.58	36965	36965	100.0	11.76

स्रोतः– कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002–03 में इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 4.42 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दी गयी, जबकि वर्ष 2004–05 में यह घटकर 3.56 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 2007–08 में यह पुनः बढ़कर 11.57 प्रतिशत हो गयी। चित्रकूट जनपद में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 2.35 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया गया जो वर्ष 2004–05 में बढ़कर यह 3.18 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 8.37 प्रतिशत हो गया। वहीं मथुरा जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 5.32 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दी गयी जबकि वर्ष 2004–05 में बी0पी0एल0 परिवारों की विधवा महिलाओं की विधवा पेंशन का प्रतिशत बढ़कर 8.32 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 13.58 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार बाराबंकी जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों मे से 2.82 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों की विधवा महिलाओं को पेंशन दी गयी, जबकि वर्ष 2004–05 में कोई बढ़ोत्तरी नही हुयी तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 11. 76 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि बी0पी0एल0 परिवारों के निःसहाय विधवा महिलाओं को दी जाने वाली विधवा पेंशन का प्रतिशत चयनित चारों जनपदों काफी कम है जो कि एक अच्छा संकेत है।

व्यक्तिगत प्रेक्षण

शोधार्थी का व्यक्तिगत प्रेक्षण योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के बावजूद गरीब परिवारों के गरीबी की स्थिति में सुधार न होने के कारणों की वजह को समझने के लिए सर्वेक्षण के दौरान लाभार्थियों से किए गये साक्षात्कार, ग्राम प्रधानों व प्रबुद्ध लोगों से अनौपचारिक परिचर्चा योजनाओं के दिशा–निर्देश व उद्देश्यों, चयन प्रक्रिया, चयन में पारदर्शिता आदि के साथ–साथ अध्ययन के दौरान अनुभव किए गये प्रेक्षणों को ध्यान में रखकर विश्लेषण करने पर पाया कि किसी भी गरीब परिवारों को केवल एक योजना का लाभ दे देने भर से उसकी गरीबी दूर नहीं हो सकती। यथा किसी गरीब परिवार को यदि हम केवल भोजन दे दें या केवल आवास दे दें तो इससे उस गरीब परिवार की गरीबी कभी भी दूर नहीं हो सकती। जब तक कि इन गरीब परिवारों की कम से कम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न किया जाए। दूसरी ओर यह देखा गया कि योजनाओं के लाभार्थियों के चयन में भी पक्षपात पूर्ण तरीका अपनाया जाता है। यथा जिस गरीब परिवार को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए वह गरीबी रेखा के ऊपर में दिखा दिया जाता है तथा वास्तव में जो परिवार गरीबी रेखा के ऊपर है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे दिखा दिये जाने से योजना के पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

गरीबी दूर करने के लिए शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन उचित ढंग से किया जाना अति आवश्यक है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का होना आवश्यक है अर्थात योजनाओं का लाभ उन गरीब परिवारों को मिले जो उसके लिए पात्र हैं। दूसरी ओर लाभार्थियों का चुनाव करते समय पात्र लाभार्थियों के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं होनी चाहिए। यथा अति गरीब परिवार जिन्हें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन्हें न मिलकर, उन गरीब परिवारों को दे दिया जाता है जो योजना के पात्र तो हैं लेकिन अति–गरीब परिवार की तुलना में नहीं है। यह बात प्राथमिक सर्वे के दौरान स्पष्ट रूप से देखने को मिली। इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण स्तर पर कार्यशील सरकारी मशीनरी (खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम सचिव व प्रधान) को और सशक्त बनाया जाय तथा इनका कार्य पद्वति स्पष्ट एवं पारदर्शी हो, जिससे योजना के लिए अपात्र परिवारों का चयन न हो सके और पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्यों को विधिवत प्रशिक्षण दिया जाए। विशेषकर योजनाओं के सन्दर्भ में यथा योजना का उद्देश्य, क्रियान्वयन आदि के संदर्भ में जिसका वर्तमान अध्ययन में अभाव पाया गया। इसके अभाव में ग्रामीण स्तर पर व्याप्त गरीबी को दूर करने की बात सोचना भी गलत होगा। अतः इसे प्राथमिक आवश्यकता के रूप में लेना चाहिए। किसी भी नये योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व उसके उद्देश्य व क्रियान्वयन के तरीकों की जानकारी ग्राम पंचायत एवं सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों को देना अनिवार्य की जानी चाहिए।

गरीबी दूर करने के साथ ही भ्रष्टाचार को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह बात पायी गयी की ग्राम प्रधान व सरकारी सेवक, बैंक मैनेजर योजनाओं का लाभ देने के लिए पात्र परिवारों से घूस की मांग करते हैं। घूस की धनराशि न देने पर अपात्र परिवारों को लाभ दे दिया जाता है इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र परिवार को ही योजना का लाभ मिले।

योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों को देने के पूर्व उन गरीब परिवारों का जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी सूची तैयार की जानी चाहिए जिससे योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को ही मिले। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव आपस में मिलकर ऐसे परिवारों का जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की श्रेणी में नहीं आते हैं अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी में आते हैं। उनका चयन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की श्रेणी में कर देते हैं। ऐसा वे इस लिए करते हैं क्योंकि ये परिवार चुनाव के समय ग्राम प्रधान के पक्ष में बोटिंग की थी या उनके अपने बहुत ही नजदीकी होते है। ऐसा भी देखा गया है कि गॉव के कुछ दबंग परिवार जिनका गॉव में दबाव होता है वे ग्राम सचिव से मिलकर जबरन अपना व अपने नजदीकी परिवारों का नाम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में डलवा लेते हें जिससे गलत परिवारों का चयन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में कर लिया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान यह भी देखा गया है कि गॉवों में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हुए

भी वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का लाभ ले रहे हैं। जबकि कुछ परिवार ऐसे हैं जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे हैं लेकिन फिर भी उन्हें गरीबी रेखा से नीचे की सूची में न दिखाकर गरीबी रेखा के ऊपर की सूची में दिखाया गया है जिससे वे गरीब परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उपरोक्त कारणों से योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर इस समस्या को दूर करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का चयन उस गॉव के ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से न करवा कर दूसरे गॉव के ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से या सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति से ही कराया जाना चाहिए। जिससे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में पारदर्शिता बरती जा सके। दूसरी ओर इन गरीब परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं उनके नाम की सूची तैयार करके ग्राम–वार प्रकाशित करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सके।

गरीबी दूर करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि गरीबों के लिए जो योजनायें बनायी गयी हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाना चाहिए। योजनाओं को क्रियान्वित करने के समय उनमें पारदर्शिता का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजनाओं का लाभ उन्हीं गरीब लाभार्थियों को मिले जो वास्तव में गरीब हैं और जो योजनाओं का लाभ पाने के योग्य हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी मशीनरी को और सशक्त बनाया जाए और इनका समय–समय पर निरीक्षण किया जाए। सर्वेक्षण के दौरान गॉवों के प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा के दौरान यह बात पायी गयी कि ग्राम प्रधान अपने नजदीक के परिवारों जो उनके यहां काम करते हैं या उन्हें चुनाव में वोटिंग की है या उनके यहां उठते बैठते हैं उन्हें इन योजनाओं का लाभ दे देते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''उत्तर प्रदेश में गरीबी निवारण योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन'' के सन्दर्भ में किया गया है। प्रदेश के गरीब समुदाय के लोगो पर विकास योजनाओं के प्रभाव की वास्तविकता को जानने के लिए प्रदेश के सभी चार भौगोलिक क्षेत्रों से एक–एक जनपद का चयन किया गया अर्थात बुन्देलखण्ड से चित्रकूट, पूर्वी क्षेत्र से इलाहाबाद, मध्य क्षेत्र बाराबंकी तथा पश्चिमी क्षेत्र से मथुरा जनपद को अध्ययन हेतु चयनित किया गया। इन चयनित प्रत्येक जनपद से दो विकास खण्डों का चयन किया गया तथा प्रत्येक चयनित विकास खण्ड से दो ग्रामों को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया। चयनित प्रत्येक गांवों से दस ऐसे परिवारों को चुना गया जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन–यापन करते है। इस प्रकार प्रत्येक जनपद से 40 बी0पी0एल0 परिवारों से व्यक्तिगत साक्षात्कार संरचित अनुसूची के माध्यम से लिए गए हैं और प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कई आयामों से किया गया है। देश एवं प्रदेश में गरीबी का स्वरूप, परिणाम, कारण एवं सरकारी तथा गैर–सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों का अवलोकन एवं विश्लेषण उपनिवेशिक काल तथा स्वतन्त्रोत्तर काल से अब तक की अवधि के विशेष संदर्भ में किया गया है। शोध अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचना का विश्लेषण अनेक सच्चाइयों को उद्घाटित करता है

अध्ययन से प्राप्त परिणामों का 'निष्कर्ष' शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए हैं।

आवासीय योजनाएं

- लक्ष्यों के निर्धारण के लिए गरीब परिवार हेतु बनाई गई बी0पी0एल0 सूची त्रुटिपूर्ण पायी गयी जिसमें अनेक वास्तविक गरीब परिवारों के नामों को सम्मिलित नहीं किया गया है। जिसके कारण अनेक लक्षित समूह के परिवार योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे है।
- लाभार्थियों की सूची के निर्माण के दौरान स्थानीय राजनीति व प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक स्तर पर पाया गया।
- विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित देय धनराशि वर्तमान महंगाई की तुलना में अत्यधिक कम है यही कारण है कि अनके परिवार योजना का लाभ प्राप्त करने के पश्चात भी अपने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा पाते हैं।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तर पर में व्याप्त भष्ट्राचार के कारण लाभार्थियों को प्राप्त सहायता धनराशि का एक बड़ा हिस्सा इस तन्त्र में व्यय हो जाता है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति सहायता मिलने के बाद भी खराब हो जाती है।
- अध्ययन स्पष्ट करता है कि प्रतिदर्श में लगभग 54 प्रतिशत परिवार कच्चे मकानों एवं झोपड़ियों में निवास कर रहे, जिनकी आवासीय स्थिति बहुत दयनीय है।
- प्रतिदर्श क्षेत्र में चयनित कुल परिवारों में आधे से अधिक लोगों के घरों में पेयजल का स्रोत नही पाया गया जबकि 83.1 प्रतिशत परिवार आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है और शौच के लिए खुले स्थान का प्रयोग करते है। इसी प्रकार लगभग 81 प्रतिशत परिवारों के घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं पाया गया। यह परिणाम गरीबों हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धी को झूठलाते हुए प्रतीत होते हैं।
- लाभार्थियों का चयन करते समय (सूची तैयार करते समय) पंचायत के निर्वाचित सदस्यों (यथा प्रधान, व ग्राम सचिव) द्वारा राजनीतिक आधार पर भेद–भाव किया जाता है।
- द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी भी काफी मात्रा में बी.पी.एल. परिवार ऐसे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की खाद्य सुरक्षा संबन्धी सहायता नही दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा

- ग्रामीण स्तर पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता सूची तैयार करते समय अनेक बी0पी0एल0 परिवारों को इस सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है जिससे वास्तविक पात्र परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

- ग्रामीण स्तर पर स्थापित राशन की दुकानों में सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनाज व मिट्टी तेल को खुले बाजार में अधिकारियों व कोटेदार की मिली भगत से बेच दिया जाता है। जिससे गरीब परिवारों को खाद्यान्न व मिट्टी तेल निर्धारित मात्रा में नहीं मिल पाता है।
- राशन की दुकानों पर कोटेदार द्वारा खाद्यान्न व मिट्टी के तेल को कम नापने से गरीब परिवारों को पर्याप्त खाद्यान्न व तेल लेने में आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।
- राशन की दुकानों से एक निश्चित अवधि के दौरान खाद्यानों का वितरण किया जाता है जिसके कारण अनेक गरीब परिवार धनाभाव के कारण अपनी सामग्री उस अवधि में नहीं ले पाते है तथा शेष बची हुई सामग्रियों का खुले बाजार में कोटेदार ब्लैक कर देता है और गरीब परिवार इस लाभ से वंचित रह जाते हैं।
- गरीबी रेखा के नीचे व ऊपर के परिवारों को दी जाने वाली खाद्य सम्बन्धी सहायता आम लोगो के समुचित जानकारी के अभाव में सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाती है।
- संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्यान्नों की गुणवत्ता में खराबी पायी गयी साथ ही इन खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर गठित समितियाँ बनाई गयी है वे स्थानीय लोगो के प्रभाव के कारण निष्क्रय रूप में देखे गये।
- अध्ययन स्पष्ट करता है कि प्रतिदर्श सभी परिवार आय की दृष्टि से गरीबी रेखा के नीचे के पाये गये तथा एक परिवार अपनी कुल आवश्यकता का 30.8 प्रतिशत गेंहूँ तथा 52.4 प्रतिशत चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रतिमाह प्राप्त करता है जबकि अपनी आवश्यकता का 34.2 प्रतिशत गेहूँ तथा 29 प्रतिशत चावल खुले बाजार से खरीदता है।

रोज़गार सम्बन्धित योजनाएं

- अधिकांश ग्रामों में योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करते समय स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों की ओर ध्यान में नहीं गया जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षेत्र में आवश्यक रोज़गार की माँग को पूरा करना कठिन हो जाता है और जिन लोगो के लिए यह योजनाएं बनाई गयी वे रोज़गार के लिए इधर–उधर भटकते रहते है। अधिकांश गरीब परिवार के लोग ऐसी स्थिति के कारण अल्प पराश्रमिक पर मजदूरी करने पर विवश पाए गए। अतः सम्बन्धित योजनाएं को असफल माना जा सकता है।
- सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को स्वरोजगार के अवसर लगाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिससे लाभार्थी का सम्पूर्ण प्रयास एवं ऊर्जा असफल हो जाता है।
- रोज़गार सम्बन्धित चलाये जा रहे कार्यक्रम में सबसे बड़ी कमी यह पायी गई कि इसके अन्तर्गत प्रदान किये

जाने वाले रोजगार की प्रकृति अल्पकालीन होती है। इसका परिणाम यह होता है कि जब तक ये कार्यक्रम चलते रहते तब तक उन्हें रोजगार मिलता रहता है इसके बाद उनकी स्थिति पुनः उसी प्रकार की हो जाती है।

- ग्रामीण स्तर पर रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों का लाभ स्थानीय लोगो की जानकारी एवं जागरुकता के अभाव के कारण अनेक परिवारों को लाभ नहीं मिल पाता है जिसके परिणामस्वरूप ये योजनाएं अपने लक्ष्य समूह से कोसो दूर हो जाती है।
- प्राथमिक सूचनाएं प्रमाणित करती है कि खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी योजनाओं का लाभ देते समय सम्बन्धित गांव के ग्राम प्रधानों से घूस की मांग करते हैं और न देने पर उनके लाभों को लम्बित कर देते हैं जिससे त्वरित स्थानीय माँग सीधे प्रभावित होती है।
- प्राथमिक आँकड़े बताते है कि चयनित गरीब परिवारों को रोज़गार सम्बन्धी योजनाओं का लाभ बहुत अल्प स्तर पर प्राप्त हुआ है जबकि सम्पूर्ण प्रतिदर्श में लगभग 90 प्रतिशत परिवारों की निर्भरता कृषि एवं मजदूरी क्षेत्र पर है और औसतन एक परिवार अपनी कुल आय का लगभग 55 प्रतिशत धनराशि भोजन पर खर्च कर देता है। जबकि भूमिहीनता का स्तर इन परिवारों में 61 प्रतिशत पायी गय है।

सन्दर्भ–

1.कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग।

2.कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग।

3. कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

4. सुनिश्चत रोज़गार योजना

5. मूल्यांकन निर्देषिका, 2000, पृष्ठ–5, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान योजना आयोग, भारत सरकार।

6.मूल्यांकन निर्देषिका, 2000, पृष्ठ–6, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान योजना आयोग, भारत सरकार।